

MR. DEPUTY SPEAKER : "That the members of this House do proceed to elect in the manner required by sub-rule (3) of Rule 254 read with sub-rule (1) of Rule 311 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, one member from among themselves to serve as a member of the Committee on Estimates for the unexpired portion of the term ending on the 30th April, 1970, *vice* Shri G. G. Swell resigned from the Committee."

The motion was adopted.

14-17 hrs.

INDIAN TARIFF (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE (SHRI B. R. BHAGAT): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Tariff Act, 1934.

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इंडियन टैरिफ अमेंडमन्ट बिल है, मैं इसका विरोध करता हूँ क्योंकि इसमें बताया जाता है कि रेशम उद्योग में प्रोटेक्टिव ड्यूटी में रियायत करके, राशनलाइजेशन ला करके इस उद्योग को बढ़ाने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है लेकिन हकीकत में जितनी मदद, जितनी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए वह चीज इस विधेयक से माफ नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो पिछला ऐक्ट है उसमें 8.80 रुपए पर-किलोग्राम है और वही इसमें भी कर रहे हैं। इसी तरह स रा मिल्क 18.70 पर-किलोग्राम पिछले ऐक्ट में भी है और इसमें भी वही है। एड-वोलैरम में तो कुछ परिवर्तन है लेकिन

पर-किलोग्राम के हिसाब से जो रियायत होनी चाहिए वह रियायत इस में नहीं की गई है। रेशम बहुत पुराना उद्योग है, इसकी काफी मदद होनी चाहिए। मैं भी इस बिल का समर्थन करता हूँ लेकिन जिस रूप में मदद होनी चाहिए उस रूप में मदद नहीं दी गई है। यह प्रोटेक्शन सफीशिएन्ट नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूँ।

SHRI B. R. BHAGAT: The hon. Member is going into the merits of the Bill. He can raise these points when the Bill is taken into consideration. A Bill can be opposed at the introduction stage only on constitutional or some other grounds.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : यह जरूरी नहीं है। किसी भी आधार पर विरोध किया जा सकता है।

श्री ब० रा० मगत : यह तो कभी हुआ नहीं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is—

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Tariff Act, 1934."

The motion was adopted.

SHRI B. R. BHAGAT: I introduce the Bill.

RE: CALLING ATTENTION NOTICE QUERY

SHRI S. M. BANERJEE (KANPUR): Today we tabled a calling attention motion regarding the disbandment of the National Fitness Corps involving the unemployment of 7,400 instructors. The executive members of

* Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, dated 17-12-69.

† Introduced with the recommendation of the President.